कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर

संख्या 718/23–पंजीकरण के नवीनीकरण/नये पंजीकरण/न0पा0प0गा0(2018–19) दिनांक 04-05-18

नवीनीकरण/पंजीयन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में वर्ष (2018-19 व 2019-20) 2018–20 के लिए पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों तथा गत वर्ष के पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 11.5.18 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। दिनांक 11.5.18 के पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही विभाग द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी।

1. निवास प्रमाण पत्र एवं मूल पत्र व्यवहार का पता, शपथ–पत्र के साथ।
2. चरित्र प्रमाण पत्र (टी–4) जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है।
3. हैसियत प्रमाण पत्र (टी–5) (08.00 लाख से कम का न हों) जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है।
4. टी–6 फोटोयुक्त।
5. सामान्य जाति हेतु जमानत धनराशि 50,000.00 रू0 व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जमानत धनराशि मु0 25,000.00 रू0 का राष्ट्रीय बचत पत्र एवं एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के पक्ष में बन्धक हो जमा करना होगा। जिसका सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. अनुभव प्रमाण पत्र कम से कम पॉच कार्यो का सन्तोष जनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए।
7. जी0एस0टी0 नं0 का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आयकर रिटर्न 2016–17(असिसमेन्ट वर्ष 2017–18) का दाखिल रिटर्न की कापी।
8. अदेयता प्रमाण पत्र जैसे– 31 मार्च 2018 तक दाखिल जी0एस0टी0 आर0–3 बी0 की कापी व नगर पालिका परिषद गाजीपुर का भी अदेयता प्रमाण पत्र।
9. नये पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क 10000.00 रू0 एवं पुराने पंजीयन के नवीनीकरण हेतु शुल्क 5000.00 रू0 (दो वर्ष के लिए) जमा करना होगा।
10. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार नगर पालिका के अधिकारी, मा0 सदस्य, कर्मचारी एवं उनके किसी भी सम्बन्धी को पंजीयन/नवीनीकरण हेतु अनुमति नही होगी।
11. ऐसी फर्म/एजेन्सी/ठेकेदार जो पूर्व में विभिन्न निर्माण कार्यो की निविदा कार्य को पूर्ण नही किये है ऐसे लोगो का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही नवीनीकरण/पंजीयन प्रार्थना पत्र विचार किया जायेगा।

नोट– नए आवेदक फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाएगी तदुपरान्त पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी और जांच में यदि फर्जी/तथ्यगोपन सिद्ध होता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के प्रार्थना–पत्र पर कोई विचार/स्वीकृति नहीं किया जायेगा। पंजीकृत/नवीनकृत फर्म/ठेकेदार अपनी स्वीकृत निविदा में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने पर उन्हें भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा या आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार उनकी पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

03/08/18

(संजय कुमार मिश्र),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

प्रतिलिपिः– विज्ञापन संवाददाता दैनिक जागरण/अमर उजाला .... गाजीपुर को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले संस्करण में उ0प्र0 शासन द्वारा नियत विज्ञापन दर पर प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संख्या व दिनांक तदैव।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय उपजिलाधिकारी, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय जिला सूचना कार्यालय, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि www.ghazipur.nic.up.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।